



सम्प्रदाय की संस्कृति राज्य मंडल उचालियर केम्ब सागर

12/7/2013

R - 2998 - III/13

निगरानी प्र०५०

मुल्हा वल्ड बुहार

निवासी ग्राम खेरा तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म०५०

— निगरानीकर्ता

// विष्ट //

भावन्त लाल वल्ड फुट्टू लुहार

निवासी ग्राम खेरा तहसील बिजावर जिला उत्तरपुर म०५०

— प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म०५० भूरोस० अधिस्थ न्यायालय

तहसीलदार बिजावर जिला उत्तरपुर द्वारा रा०प्र०५० 18/3/12/12-13

मे पारित आदेश दिनांक 12/2/2012 के विष्ट

निगरानीकर्ता निम्न द्वा निगरानी याचिका प्रस्तुत कर दिय

करता है :-

1- यह कि ग्राम खेराकला पर्वती २१ तहसील बिजावर स्थित

भूमि खर्वा ४६५/३ एवं ४६२/२ जिनका रक्ता भ्रमणः ०. २२६, एवं ०. २२८
है का मालिक एवं काबिजदार निगरानीकर्ता अपने पूर्व जो के समय से
चला आ रहा है।

2- यह किंतु निगरानीकर्ता भूमियों ४६५/१/२ का मालिक है

जिनका रक्ता ०. २२९ है। पूर्व मे संपूर्व खर्वा ४६५ था किन्तु राज्य सरकार द्वारा कुहि नंबर दिया न होने के बिसे उन्मार उपने पूर्वजो हे

ग्रामीण क्षेत्र, तापार सम्मान,
सांगर (म.प.)

(2) १३

50/13
12/7/13

दिनांक 30/7/13
द्वा निगरानीकर्ता
युक्त

30/7/13
१३-१८८

2-8-13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2998—तीन / 2013

जिला—छतरपुर

मुलुआ विरुद्ध भगवन्त लाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-०८-२०१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार बिजावर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 18/अ—१२/२०१२—१३ में पारित सीमांकन आदेश दिनांक १२—०२—२०१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता १९५९ में दिनांक २७—०७—२०१८ को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक २५—९—२०१८ के फलस्वरूप संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>२/ पक्षकार दिनांक ०४—११—२०१९ को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०क० जैन) सदस्य</p>